

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 1-03/2023-

/पटना, दिनांक :- / /2025

डा० अमृता नारायण, सहायक प्राध्यापक (सविदा-BHS), फिजियोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के द्वारा दिनांक-08.03.2023 से 13.03.2023 तक की अवधि में की गयी विदेश (दुबई) यात्रा के लिये घटनोत्तर स्वीकृति/अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्रा के लिये प्रस्थान नहीं करेंगी।

2 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल 1-03/2023- 938(17)

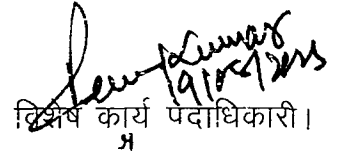
पटना, दिनांक :- 19/08/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अमृता नारायण, सहायक प्राध्यापक (संविदा-BHS), फिजियोलॉजी विभाग, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।